न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :—गितेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 29/2020 (उदयपुर डिक्री)

1. भैरूलाल पिता पेमा मीणा, निवासी हिरण मगरी सेक्टर नंबर 4, उदयपुर (राज.)
2. वाला पिता देला, निवासी हिरण मगरी सेक्टर नंबर 4, उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती रेखा पत्नी मनोहर मीणा, निवासी नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती खमाणी पत्नी ओमप्रकाश मीणा, निवासी नाथद्वारा, जिला राजसमन्द
5. श्रीमती मनोहरी पत्नी बाबूलाल मीणा, निवासी नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. सावरिया पिता दल्ला मीणा, निवासी हिरण मगरी सेक्टर नंबर 4, उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. भग्गा पिता अम्बावा मीणा, निवासी पारोला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. लखमा पिता अम्बावा मीणा,निवासी पारोला,तहसील गिर्वा,जिला उदयपुर(राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा दिनांक 30—01—2019,प्रकरण संख्या 38/2011

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :— 1—श्री लक्ष्मीलाल जैन अभिभाषक अपीलान्टगण

2—श्री धर्मेन्द्र लोढाअभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1

3— श्री बी. आर. डांगीअभिभाषक रेस्पो. सं. 2

4— श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णयदिनांक11—07—2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया किमौजा डेडकिया पटवार हल्का उमरडा तहसील गिर्वा में आराजी नंबर 12939, 12940, 12941 कुल किता 3 रकबा 1.8650 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 3766/1 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा थे, जो वादी के पिता अम्बावा के नाम दर्ज थी। अम्बावा के दो पुत्र लखमा व भग्गा हुए तथा होमा अम्बावा जी की दूसरी [illegible] पुत्र होकर बाकडा आया था तथा अम्बावा जी ने अपने हिस्से [illegible] से आधा हिस्सा [illegible] पिता गोता के खाते कर दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:11:13 IST
Reason: SelfAttested

तथा बाद में होमा लाऔलाद फोत हो गया। अम्बावा जी की मृत्यु के समय वादी लखमा बीमार था जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादी ने विरासत से अपना नाम दर्ज करवा लिया, जबकि वादी अम्बावा का जाईन्दा पुत्र है, लेकिन प्रतिवादी भग्गा ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर वादी लखमा का नाम दर्ज नहीं करवाया, जबकि कब्जा वादी व प्रतिवादी का आधे–आधे हिस्से पर चला आ रहा है। होमा लाऔलाद फोत होने से होमा के नजदीकी वारिस वादी एवं प्रतिवादी होने से उसके हिस्से के दोनों हकदार हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वाद वर्णित आराजियात के 1/2 हिस्से का खातेदार वादी को घोषित किया जावे एवं तद्नुसार विभाजन किया जाकर लगान अलग–अलग कायम किये जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ने खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर बताया कि विवादित भूमि पैत्रृक नहीं होकर उसकी उसकी स्वयं भूमि है, जिसे उसने अलोट करवायी है, किन्तु सहवन से अलोटमेन्ट में भग्गा पिता अम्बावा दर्ज होने के बजाय अम्बावा जी के नाम दर्ज हो गयी एवं बाद में अम्बावा की मृत्यु के बाद भग्गा के नाम दर्ज हुई। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में 4 तनकियां कायम की एवं उभयपक्षों को सुनकर दिनांक 30–01–2019 को वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगणद्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 03–03–2020 कोप्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ओर से वकील श्री धमेन्द्र लोढ़ा उपस्थित हुए तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री बी. आर. डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए।पक्षकारान द्वारा दिनांक 17–01–2023 को राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट की ओर से अपील के साथ धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया एवं बताया कि विपक्षीगण ने बिना प्रार्थीगण को पक्षकार बनाये मिलीभगत से डिक्री प्राप्त कर ली, जिससे प्रार्थीगण के हित प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि विपक्षीगण ने उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 [illegible] से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:11:13 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपील पेश करने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बताया कि पक्षकारों के मध्य दिनांक 17–01–2023 को राजीनामा हो चुका है ऐसी स्थिति में मुताबिक राजीनामा अपील का निस्तारण किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त राजीनामें पर अपनी सहमति देते हुए राजीनामें अनुसार अपील का निस्तारण करने का निवेदन किया।

हमने उक्त राजीनामें एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया।पत्रावली में संलग्न राजीनामें में राजीनामा होने की सूचना अंकित है। राजीनामा में अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया है। अपील मेमों के कथनों का अवलोकन करने पर पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 26–12–2019 को प्राथमिक डिक्री का आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार गिर्वा द्वारा आदेश क्रमांक 925 दिनांक 30–11–2016, आदेश क्रमांक 808 दिनांक 04–09–2018, आदेश क्रमांक 804, 805, 806, 807 से उक्त कृषि भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के आदेश दिये गये हैं और अपीलान्टगण के नाम वर्तमान राजस्व रेकार्ड में आवासीय दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि वाद क्रमांक 38/2011 दिनांक 25–01–2011 को अधिनस्थ न्यायालय में दर्ज हुआ और भग्गा पिता अम्बावा अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी क्रमांक 1 संयाजित था। प्रतिवादी क्रमांक 2 पर तहसीलदार गिर्वा संयोजित थे। यहां उल्लेखनीय है कि वाद अधिनस्थ न्यायालय में दर्ज होकर विचाराधीन था उसके बावजूद वादग्रस्त आराजियात का विक्रय एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा सहमति से बंटवाडा कर दिया जिससे लिटिगेशन को बढ़ावा मिला। प्रदर्श–1 के अनुसार संवत् 2064 से 2067 की जमाबन्दी में वादग्रस्त आराजियात भग्गा पिता अम्बावा मीणा के नाम रिकार्ड में दर्ज थी और दावे में इन्हें ही प्रतिवादी बनाया गया है। अतः वादग्रस्त आराजियात विक्रय करने पर यह विक्रेता की जिम्मेदारी थी कि वह आराजियात के संबंध में न्यायालय में विचाराधीन वाद की जानकारी क्रेतागणों को देते। तथ्य विक्रेता द्वारा छुपाये गये हैं न कि वादी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा। इस प्रकार गुणावगुण पर परीक्षण करने पर पाया कि अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में किये गये कथनों की पुष्टि नहीं होती है और गुणावगुण पर अपील सारहीन प्रतीत होती है चूंकि उक्त विवेचन से स्पष्ट है अपीलान्टगण इस अपील में पक्षकार संयोजित होने के योग्य नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:11:13 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय से अभी अंतिम निर्णय पारित नहीं हुआ है और वादी द्वारा इन्हें पक्षकार इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वर्ष 2011 में इनका नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं था। वादग्रस्त होने के वावजूद भूमि का स्थानान्तरण एवं किस्म परिवर्तन हुआ है। अतः अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 स्वीकार योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है। इस कारण अपील पक्षकार के अभाव में चलने योग्य नहीं होने से निरस्त योग्य है।

वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण पक्षकार नहीं थे, इसलिए उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के डिक्री की जानकारी नहीं थी। जानकारी होते ही अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगणों द्वारा कथन किया गया कि हम वाद में पक्षकार नहीं थे और वादी ने हमे पक्षकार नहीं बनाया इसलिए अधिनस्थ न्यायालय के फैसले की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। यहां उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 में राजस्व रेकार्ड में अपीलान्टगण प्रार्थीगणों का नाम नहीं था इसलिए इनका नाम वाद में संयोजित नहीं किया गया। प्रतिवादी द्वारा इन्हें जमीन का विक्रय किया गया तो वादी को इसकी जानकारी कैसे होती। अतः यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट भी ठोस कारणों के अभाव में एवं अपील मेरिट पर ठोस तथ्यों पर नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है।

फलस्वरूपअपील अपीलान्ट पक्षकार के अभाव में और अवधि पर होने से चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–01–2019यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।निर्णय आज दिनांक 11–07–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:11:13 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**गितेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.** .....

भैरूलाल पिता पेमा मीणा, निवासी हिरणमगरी सेक्टर नं.4, उदयपुर व अन्य

बनाम

भग्गा पिता अम्बावा मीणा, निवासी पारोला, तह.गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.....**29/2020**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**.....मुकाम.....मुवर्खे.....**30**.....माह.....**01**.....**2019**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**11**.....माह.....**07**.....सन् **2023** रूबरू.....
व हाजरी.....**श्री लक्ष्मीलाल जैन**...मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री धर्मेन्द लोढ़ा/बी.आर. डांगी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.....**अपील अपीलान्ट पक्षकार के अभाव में और अवधि पर होने से चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–01–2019 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ....**X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.....**X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**11**.....माह.....**07**.....**2023** को जारी किया गया।

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:11:13 IST
Reason: SelfAttested